भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 6115

01.04.2026 को उत्तर देने के लिए

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में अनुसूचित जातियों हेतु पहल

†6115. श्री जी. एम. हरीश बालयोगीः

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और नवाचार में अनुसूचित जातियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई योजनाओं, अध्येतावृत्ति, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और अन्य पहलों का ब्यौरा क्या है और उनके कार्यान्वयन की विशेषकर आंध्र प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार स्थिति क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक पहल के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का वर्ष-वार, पहल-वार, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और विशेष रूप से कोनसीमा जिले सहित आंध्र प्रदेश का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक पहल के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की संख्या का वर्ष-वार, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और विशेष रूप से कोनसीमा जिले सहित आंध्र प्रदेश का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) आंध्र प्रदेश में उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र और प्रौद्योगिकी-आधारित स्टार्टअप में अनुसूचित जाति के छात्रों, शोधकर्ताओं और उद्यमियों के प्रतिनिधित्व का ब्यौरा क्या है;

(ङ) राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (आईएनआई) और उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित संकाय पदों की स्वीकृत संख्या, भरे गए पदों और रिक्तियों का संस्थान-वार, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश का ब्यौरा क्या है और ऐसी रिक्तियों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं; और

(च) लक्षित पहुंच (आउटरीच), मार्गदर्शन और संस्थागत सहायता के उपायों सहित प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से (ग): विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अपने विभिन्न विभागों जिनमें अनुसूचित जाति की भागीदारी भी शामिल है, के अंतर्गत विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं, छात्रवृत्तियों, क्षमता निर्माण

कार्यक्रमों और अन्य पहलों का विवरण नीचे दिया गया है। ये पहलें अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी पद्धति से कार्यान्वित की जा रही हैं और आंध्र प्रदेश राज्य सहित योग्यता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

I. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

1. **विज्ञान धारा:** विज्ञान धारा योजना 16.01.2025 से प्रभावी हुई। यह डीएसटी की तीन प्रमुख योजनाओं को एक में समाहित करती है, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित पर केंद्रित है:

 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थागत एवं मानव क्षमता निर्माण: यह घटक भारत की वैज्ञानिक अवसंरचना और मानव संसाधन को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) प्रयोगशालाओं का निर्माण और संवर्धन करना है, जिससे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक सशक्त वातावरण निर्मित हो सके। अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय की समावेशी भागीदारी और क्षमता निर्माण सुनिश्चित करने के लिए विशेष पहलें भी शामिल की गई हैं।

 अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी): विज्ञान धारा सतत ऊर्जा और जल में मूलभूत अनुसंधान तथा अनुप्रयोगात्मक अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय मेगा सुविधाओं तक पहुंच सहित विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान पर बल देती है। यह घटक अनुसूचित जाति आबादी पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग के माध्यम से सहयोगात्मक अनुसंधान को भी बढ़ावा देता है।

 नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास एवं परिनियोजन: योजना का यह खंड विद्यालयों से लेकर उच्च शिक्षा और उद्योग तक सभी स्तरों पर नवाचार को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। यह शिक्षा जगत, सरकार और उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ाने के साथ-साथ स्टार्टअप्स को सहायता देकर प्रौद्योगिकी विकास एवं परिनियोजन को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय की समावेशी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष पहलें भी शामिल की गई हैं।

2. **राष्ट्रीय अंतर विषयक साइबर भौतिकी प्रणाली मिशन (एनएम-आईसीपीएस):** यह मिशन अनुसूचित जाति (एससी) समुदायों को गहन प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सशक्त बनाकर समावेशी विकास को बढ़ावा देता है। यह अध्येतावृति , कौशल विकास और स्टार्टअप इनक्यूबेशन के माध्यम से शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता पर बल देता है। स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर के एससी छात्र और शोधकर्ता लक्षित कार्यक्रमों से लाभान्वित होते हैं, जबकि ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों को उद्योग-संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त होता है। प्रमुख संस्थानों में स्थापित प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र (टीआईएच) राष्ट्रव्यापी स्तर पर समान पहुंच सुनिश्चित करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, आईओटी, साइबर सुरक्षा और ड्रोन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देकर, एनएमआईसीपीएस स्वदेशी क्षमताओं का निर्माण करता है, रोजगार

योग्यता को सशक्त बनाता है और भारत की डिजिटल और नवाचार अर्थव्यवस्था में एससी भागीदारी के लिए स्थायी मार्ग प्रशस्त करता है।

3. **अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान (एएनआरएफ) (पूर्ववर्ती विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी)):** समाज के सभी क्षेत्रों के शोधकर्ताओं की समान भागीदारी को सुगम बनाने के अपने प्रयास में, एएनआरएफ ने समावेशी अनुसंधान अनुदान (आईआरजी) योजना आरंभ की है। आईआरजी योजना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शोधकर्ताओं को विज्ञान और अभियांत्रिकी के अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आईआरजी में पूर्ववर्ती एसईआरबी की विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए सशक्तिकरण और समता अवसर (ईएमईक्यू) योजना सम्मिलित है।

II. जैव-प्रौद्योगिकी विभाग

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और नवाचार में अनुसूचित जातियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए बायोटैक-किसान (कृषि नवाचार विज्ञान अनुप्रयोग नेटवर्क) योजना और जैव प्रौद्योगिकी आधारित सामाजिक विकास कार्यक्रम लागू कर रहा है। ये पहलें अनुसूचित जाति समुदाय के किसानों, युवाओं और महिलाओं को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी समाधान अपनाने में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम उपलब्ध कराती हैं। विभाग उच्च शिक्षा और अनुसंधान में अनुसूचित जातियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के आरक्षण मानदंडों के अनुसार दो छात्र अध्येतावृत्ति कार्यक्रम भी कार्यान्वित करता है: 1) डीबीटी जूनियर रिसर्च अध्येतावृति कार्यक्रम और 2) डीबीटी पीजी टीचिंग कार्यक्रम, जिनमें भारत सरकार की आरक्षण नीति लागू होती है। ये कार्यक्रम आंध्र प्रदेश राज्य सहित पूरे देश और संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किए जा रहे हैं।

III. वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) के अधीन)

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) अपनी क्षमता निर्माण एवं मानव संसाधन विकास (सीबीएचआरडी) योजना के अंतर्गत विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहलों का संचालन करती है। इन पहलों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु अध्येतावृत्तियाँ, अनुसंधान सहायता, जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण गतिविधियाँ और सार्वजनिक विज्ञान सहभागिता शामिल हैं, जिससे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में वैज्ञानिक प्रतिभाओं को बनाए रखने और आकर्षित करने में सहायता मिलती है। सीएसआईआर सीबीएचआरडी योजना का संचालन करती है, जिससे भारत भर के छात्रों को, चाहे वे किसी भी क्षेत्र, जाति या लिंग के हों, लाभ मिलता है। इसमें आंध्र प्रदेश राज्य भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, सीएसआईआर जिज्ञासा कार्यक्रम का संचालन करती है, जो एक छात्र-

वैज्ञानिक संपर्क कार्यक्रम है जो जागरूकता कार्यक्रमों, प्रशिक्षण पहलों और सार्वजनिक विज्ञान सहभागिता गतिविधियों के आयोजन के माध्यम से एसटीईएम शिक्षा को बढ़ावा देता है। यह कार्यक्रम स्कूली छात्रों में वैज्ञानिक सोच, जिज्ञासा और एसटीईएम करियर में प्रारंभिक रुचि को प्रोत्साहित करता है। प्रयोगशाला भ्रमण, व्यावहारिक प्रयोग और प्रदर्शन; वैज्ञानिकों के साथ संवाद और अनुसंधान अवसंरचना का अनुभव; और जिज्ञासा ईपीआईसी हैकाथॉन के अंतर्गत नवाचार चुनौतियाँ और विज्ञान कार्यशालाएँ कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं हैं। जिज्ञासा कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के छात्रों सहित पूरे भारत के लिए सुलभ है।

आंध्र प्रदेश राज्य में विगत तीन वर्षों के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की विभिन्न पहलों के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

2022-23		2023-24		2024-25		2025-26	
लाभार्थियों की संख्या	*आवंटित निधि/ उपयोग की गई निधि (रुपए में)*	*लाभार्थियों की संख्या*	*आवंटित निधि/ उपयोग की गई निधि (रुपए में)*	*लाभार्थियों की संख्या*	*आवंटित निधि/ उपयोग की गई निधि (रुपए में)*	*लाभार्थियों की संख्या*	*आवंटित निधि/ उपयोग की गई निधि (रुपए में)*
849	3,91,66,800	4828	6,92,55,000	4000	3,03,43,800	3415	7,83,18,498

(घ) व (ङ): शिक्षा मंत्रालय (एमओई) के अधीन केंद्रीय उच्चतर शिक्षण संस्थान (सीएचईआई), जिनमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) और केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयू) शामिल हैं, संसद के संबंधित केंद्रीय अधिनियमों के अधीन स्थापित वैधानिक स्वायत्त संगठन हैं और इनके अंतर्गत बनाए गए अधिनियमों/विधानों/अध्यादेशों/विनियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। स्वायत्त संस्थानों के रूप में, संकाय भर्ती संस्थान के भीतर ही, उनके अधिनियमों और विनियमों के अनुसार की जाती है।

सीएचईआई में प्रवेश निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीकृत परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से होता है। इसके अलावा, आईआईटी, आईआईआईटी, आईआईएसईआर और एनआईटी जैसे तकनीकी संस्थान अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों को पूर्ण शिक्षण शुल्क में छूट प्रदान करते हैं। संस्थानों ने अनुसूचित जाति और एसटी श्रेणियों के छात्रों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संपर्क अधिकारी भी नियुक्त किए हैं। रिक्तियों का उत्पन्न होना और उन्हें उपयुक्त, योग्य उम्मीदवारों से भरना एक सतत प्रक्रिया है। ये रिक्तियां पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु, नए संस्थानों, योजनाओं या परियोजनाओं के

खुलने और छात्रों की संख्या में वृद्धि तथा मौजूदा संस्थानों में क्षमता के विस्तार के कारण अतिरिक्त आवश्यकता की वजह से उत्पन्न होती हैं।

अगस्त 2021 में, शिक्षा मंत्रालय के अधीन सभी केंद्रीय उच्चतर शिक्षण संस्थानों (सीएचईआई) से मिशन मोड में अपने संस्थानों में लंबित रिक्तियों को भरने के लिए विशेष अभियान चलाने का अनुरोध किया गया था। सीएचईआई ने मिशन मोड में अपने संस्थानों में लंबित रिक्तियों को भरने के लिए विशेष अभियान चलाए। सितंबर 2022 में, शिक्षा मंत्रालय ने सभी सीएचईआई से मिशन मोड में रिक्तियों को भरने का आग्रह किया था। सितंबर 2022 से, आईआईटी, आईआईआईटी, आईआईएसईआर, एनआईटी और केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित सभी सीएचईआई ने रिक्तियों को भरने के लिए मिशन मोड भर्ती अभियान चलाए हैं। 24.01.2026 (अर्थात अंतिम रोजगार मेले की तिथि) तक, मिशन मोड में सभी सीएचईआई द्वारा अनुसूचित जाति श्रेणी के कुल 3692 पद भरे जा चुके हैं, जिनमें अनुसूचित जाति श्रेणी के 2216 संकाय पद शामिल हैं।

आंध्र प्रदेश के संस्थानों, जैसे कि **आईआईटी** तिरुपति, **आईआईआईटीडीएम** कुरनूल, **आईआईआईटी** श्री सिटी (चित्तूर), **आईआईएसईआर** तिरुपति, आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय और **एनआईटी** आंध्र प्रदेश द्वारा मिशन मोड में कुल 336 पद (51 अनुसूचित जाति के पद) भरे गए हैं, जिनमें 191 संकाय पद (32 अनुसूचित जाति के पद) शामिल हैं।

(च) सरकार संविधान में तय किए गए आरक्षण का उपयोग करती है ताकि अनुसूचित जातियों के लोग विधानसभाओं, सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में उचित प्रतिनिधित्व पा सकें और इसे लक्ष्यित वित्तीय एवं संस्थागत सहायता के साथ सुनिश्चित किया जाता है। शैक्षिक उपायों में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन छात्रवृत्तियां, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सूचीबद्ध निःशुल्क कोचिंग, अध्येतावृतियां और मार्गदर्शन शामिल हैं। विवरण भाग (क) में भी उल्लिखित हैं। अनुसूचित जाति विकास निगमों और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास परिषद (एनएसएफडीसी) योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाता है, जो ऋण, कौशल प्रशिक्षण और उद्यम अनुदान प्रदान करती हैं। राज्य और केंद्र सरकार के जागरूकता कार्यक्रम कल्याण कार्यालयों और विद्यालयों के माध्यम से पात्र उम्मीदवारों की पहचान करते हैं ताकि आवासीय कोचिंग और मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके और कल्याण विभागों के माध्यम से परिणामों की निगरानी की जा सके, जिससे देश भर में अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की पहुंच, प्रतिधारण और नियुक्ति में सुधार हो सके।

विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के समाज कल्याण विभाग ने अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्टडी सर्कल शुरू किए हैं, जो विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम और

तिरुपति में यूपीएससी, बैंक, एसएससी और आरआरबी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क आवासीय कोचिंग प्रदान करते हैं। प्रत्येक सर्कल में 100 सीटें हैं और 33% महिला आरक्षण है; इसके लिए आदेश और आवेदन 2025 में जारी किए गए थे। विभाग कल्याण ब्यूरो और सूचीबद्ध संस्थानों के माध्यम से अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए लक्षित छात्रवृत्ति, छात्रावास सहायता और रोजगार संपर्क भी संचालित करता है ताकि इनकी सुलभता और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके।
